

जापांक - 4036 (2) दिनांक - 12-7-17

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 12.07.17 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बारसोई के अन्तर्गत Construction of Proposed H.L. R.C.C. Bridge (3x18.00M) in place of existing old S.P. Bridge (5x10m) Span at 19th km of Katihar-Chitabadi-Sonaili-Jhaua-Salmari-Balrampur Road (SH-98) for the year 2016-17 के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. विषयांकि कार्य के निविदा में निम्नलिखित निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया :-

1. M/s Laxman Kumar
2. M/s Motilal Agarwal
3. M/s Rungta Enterprises
4. M/s Shiv Shakti Construction
5. Mukesh Kumar,
6. Shanti Construction
7. Umakant Singh

3. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 23.03.2017 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा चार निविदाकार यथा (1) M/s Laxman Kumar (2) M/s Rungta Enterprises (3) M/s Shiv Shakti Construction एवं (4) Shanti Construction को तकनीकी बीड में सफल एवं तीन निविदाकार यथा (1) M/s Motilal Agarwal (2) Mukesh Kumar (3) Umakant Singh को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया, जिसकी कार्यवाही विभागीय जापांक-1594(ई0) दिनांक 23.03.2017 द्वारा संसूचित है।

4. तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों द्वारा उद्धृत दर निम्नवत् है :-

1	M/s Laxman Kumar	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹5,17,72,337.00
2	M/s Rungta Enterprises	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹5,17,72,337.00
3	M/s Shiv Shakti Construction	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹5,17,72,337.00
4	Shanti Construction	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹5,17,72,337.00

5. वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु दिनांक 24.05.2017 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

5.1 तकनीकी बीड में सफल सभी चार निविदाकारों द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम है। अतः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम-163(1) के आलोक में संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2017 को सम्पन्न Draw of lots में M/s Rungta Enterprises, Kahalgaon, Bhagalpur सफल हुए।

5.2 निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि संवेदक M/s Rungta Enterprises, Kahalgaon, Bhagalpur प्रो० श्री महेश कुमार रूंगटा को जल संसाधन विभाग, बिहार के ज्ञापांक-1736 दिनांक 03.05.2017 द्वारा उनके निबंधन संख्या-113/2010 (प्रथम श्रेणी) को अगले दस वर्षों की अवधि हेतु निबंधन किये जाने पर रोक लगा दिया गया है अर्थात् अगले दस वर्ष के लिये इन्हें निलंबित कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक-533(एस) दिनांक 23.01.2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका-2 में यह प्रावधान है कि "निविदा प्राप्ति के उपरान्त एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका-11(क) के तहत उनपर आपराधिक मामला बन जाता है अथवा उनका निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।"

5.3 तदनुसार विभागीय निविदा समिति द्वारा इस मामले में निबंधन का निलंबन मानते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित निविदाकार को अपना पक्ष रखने के लिये एक सप्ताह का अवसर दिया जाय कि क्यों नहीं उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करते हुये तकनीकी बीड में सफल अन्य निविदाकारों के बीच लॉटरी कर निविदा निष्पादन करने का निर्णय लिया जाय। मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग संबंधित निविदाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने अभिमत के साथ विभागीय निविदा समिति के विचारार्थ उपस्थापित करेंगे।

6. उक्त के अनुपालन में मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-1742(अनु०) दिनांक 19.06.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 24.05.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार निविदाकार M/s Rungta Enterprises, Kahalgaon, Bhagalpur प्रो० श्री महेश कुमार रूंगटा को जल संसाधन विभाग, बिहार के ज्ञापांक-1736 दिनांक 03.05.2017 द्वारा निबंधन संख्या-113/2010 (प्रथम श्रेणी) को अगले दस वर्ष के लिए निबंधन को निलंबित किये जाने के कारण इनके निबंधन को निलंबित मानते हुए इनके निविदा पर विचार नहीं करते हुए इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-1587 दिनांक 29.05.2017 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। निविदाकार M/s Rungta Enterprises द्वारा अपने जबाब के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए पुनः निविदा प्रक्रिया में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय में अंकित है कि संवेदक को जल संसाधन विभाग के पत्र संख्या-1736 दिनांक 03.05.2017 में निर्गत आदेश के आलोक में निविदा से वंचित नहीं किया जा सकता है।

M/s Rungta Enterprises द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का जबाब के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभागीय निविदा समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित करने की कृपा की जाय।

A handwritten signature and the date 12.7.17 are present at the bottom of the page.

7. CWJC No.8189/2017 (M/s Rungta Enterprises Vs. The State of Bihar & Ors.) में दिनांक 05.06.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

"In the meantime, if the petitioner participates in any tender process, if he is otherwise eligible, his tender will not be rejected on the ground of the order as contained in Annexure-6. It is also made clear that the final decision on the tender of the petitioner would abide by the final decision of this Court in the instant writ application."


8. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-1742(अनु0) दिनांक 19.06.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं CWJC No.8189/2017 (M/s Rungta Enterprises Vs. The State of Bihar & Ors.)में दिनांक 05.06.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय निविदा समिति का निर्णय निम्नवत् है :-


चूँकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश से पथ निर्माण विभाग का विषयांकित कार्य का निविदा प्रभावित हो रहा है एवं उक्त वाद में पथ निर्माण विभाग प्रतिवादी नहीं है, ऐसी स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त पथ निर्माण विभाग का पक्ष रखने के लिए विभाग को प्रतिवादी बनाये जाने हेतु AAG-4 श्री अंजनी कुमार से सम्पर्क कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग को दिया जाय।

  
(अमीर हसन)


मुख्य अभियंता (या0),  
उत्तर बिहार उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)

अपर सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
12.7.17

(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-38/2017

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।